न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प खासौली
प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 45/2021 दिनांकः– 06.10.2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम मूलचन्द आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खासौली, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम खासौली तहसील चूरू के खसरा नम्बर 1254/46, 1121/48, 1122/48 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है परन्तु सहमति पत्र, नजरी नक्शा एवं फर्द मौका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता प्रकरण में ख.नं. 1254/46 के खातेदार गुलाबराम दत्तक पुत्र बिड़दाराम जाति गुर्जर निवासी चूरू की सहमति के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा ना ही उक्त खातेदार मौके पर उपस्थित हुआ है। इसलिए उसकी अनुपस्थिति में बिना खातेदार की सहमति के उसकी कृषि भूमि में से रास्ते का अंकन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समस्त खातेदारों की सहमति नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

06/10/21

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू